न्यायालय–बृजेश कुमार चंसौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनगर, जिला–छतरपुर (म.प्र.)

Filling No-RCT/1229/2022
CNR-MP 1609-001312-2022
RCT.No-834/2022
Date of Ragistration-31-10-2022

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बमीठा
जिला छतरपुर (म.प्र.)

.....**अभियोजन**

बनाम

1. संतु कुशवाहा तनय जालम कुशवाहा आयु 32 वर्ष,
   निवासी ग्राम बमारी थाना बमीठा जिला छतरपुर म0प्र0
2. वीरेन्द्र प्रजापति तनय दयाराम प्रजापति आयु 23 वर्ष,
   निवासी ग्राम पीरा थाना बमीठा
   जिला–छतरपुर म0प्र0

.....**अभियुक्तगण**

.....

पुलिस थाना बमीठा, जिला छतरपुर के अपराध क्र. 413/22 अपराध अंतर्गत सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 की धारा 13 से उद्भूत प्रकरण।

.....

–::–निर्णय–::–

(आज दिनांक–31.10.2022 को पारित किया गया।)

01. अभियुक्तगण पर सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 की धारा 13 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि अभियुक्तगण दिनांक 26.10.2022 को शाम के समय करीब 19:50 से 20:00 बजे के बीच आरक्षी केन्द्र बमीठा स्थित सुरेश साहू के घर के पास ग्राम पीरा में अवैध रूप से 52 ताश के पत्तों पर रूपयों से हार–जीत का दांव लगाते हुये पाये गये।

02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्तगण के द्वारा अपराध किया जाना स्वीकार किया गया है।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी हमराही स्टाफ के साथ दिनांक 26.10.2022 को जुऑ की सूचना मिलने पर रो0सा0 49 मे हमराही स्टाफ सउनि कमलेश दुवेद्वी, आरक्षक 503 उदयवीर, कमल सिह एवं अन्य सैनिक के साथ साथ ग्राम पीरा गया एवं मुखबिर से मिली सूचना उपरांत राहगीर गवाह भगवानदास रैकवार एवं पंचमलाल रैकवार सहित बताये गये स्थान पर पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग हारजीत का दाव लगाते दिखे जो पुलिस को देखकर भागने लगे जिन्हें हमराही स्टाफ व राहगीरों की मदद से घेराबंदी करके पकड़ा गया, आरोपीगण को पकड़कर उनसे नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम संतु कुशवाहा तनय जालम कुशवाहा आयु 32 वर्ष, निवासी ग्राम बमारी थाना बमीठा एवं वीरेन्द्र प्रजापति तनय दयाराम प्रजापति आयु 23 वर्ष, निवासी ग्राम पीरा थाना बमीठा का होना बताया। उक्त आरोपीगणों से मौके से कुल 3900/– रूपये एवं 52 ताश के पत्ते जप्त किये गये। आरोपीगणों से गवाहों के समक्ष उक्त ताश के पत्ते एवं रूपये जप्त कर जप्तीपत्रक तैयार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 413/22 अंतर्गत धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम 1867 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04. अभियुक्तगण को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किया जाना स्वीकार किया गया है।

05. **::–:: न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि ::–::**

1. क्या अभियुक्तगण दिनांक 26.10.2022 को शाम के समय करीब 19:50 से 20:00 बजे के बीच आरक्षी केन्द्र बमीठा स्थित सुरेश साहू के घर के पास ग्राम पीरा में अवैध रूप से 52 ताश के पत्तों पर रूपयों से हार–जीत का दांव लगाते हुये पाये गये ?

// विचारणीय प्रश्न क्र0 1 का विश्लेषण तथा निष्कर्ष //

06. अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 के अपराध की विशिष्टियां सरल भाषा में विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छा पूर्वक की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 की धारा– 13 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है।

07. अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुये अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

08. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया। अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई सामग्री विद्यमान नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्तगण संतु कुशवाहा तनय जालम कुशवाहा आयु 32 वर्ष, निवासी ग्राम बमारी थाना बमीठा एवं वीरेन्द्र प्रजापति तनय दयाराम प्रजापति आयु 23 वर्ष, निवासी ग्राम पीरा थाना बमीठा जिला–छतरपुर म0प्र0 का यह प्रथम अपराध है, अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की संपूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्तगण को धारा–13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 के अंतर्गत दंडनीय अपराध में **100–100** रूपये **(कुल अंकन दौ सौ रूपये)** के अर्थदण्ड **कुल 200 रूपये** के अर्थदंड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

09. प्रकरण में आरोपी मोहन अहिरवार के अनुपस्थित होने से जप्तशुदा सम्पत्ति का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय किया जावेगां।

10. अभियुक्तगण के द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 दंप्रसं के अंतर्गत प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं मेरे बोलने पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

बृजेश कुमार चंसौरिया
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

बृजेश कुमार चंसौरिया
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

BRAJESH KUMAR CHANSORIYA

Digitally signed by BRAJESH KUMAR CHANSORIYA
Date: 2021.11.15 14:06:29 +0530